कार्यालय वन बन्दोबस्त अधिकारी, उदयपुर राजस्थान.

विषय:- वनखण्ड रिवला रेन्ज कोटड़ा तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर को राजस्थान वन अधिनियम संख्या १३ सन् १९५३ की धारा २० के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित कराने के लिये.

इस वनखण्ड को आरक्षित वन (Reserved Forest) घोषित किये जाने के प्रस्ताव की विज्ञप्ति मेवाड़ वन अधिनियम (अधिनियम संख्या २ सन् १९४२) की धारा ४ के अधीन ~~मेवाड़~~ राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के आदेश संख्या F १(६९) प्रोरेव ५१-३०७५ दिनांक २४/१० ५१ से ~~मेवाड़~~ राजस्थान राजपत्र दिनांक २६/८ ५२ में प्रकाशित हुई.

उक्त अधिनियम की धारा ६ के अनुसार घोषणा पत्र दिनांक २२-३-५२ को सम्बन्धित ग्रामों में चस्पा कराये गये जो संलग्न पत्रावली हैं. उजरदारी व हक हकूक के आवेदन पत्र दायर करने के लिये १ माह की अवधी दी गई है.

इस वन खण्ड की कुल ~~सम्बन्धी~~ कार्यवाही सम्पूर्ण होने पर दिनांक २०/२ ५३ को श्री डिविजनल फोरेस्ट सेटलमेन्ट आफिसर उदयपुर ने अन्तिम निर्णय जारी किया और मेवाड़ ~~राजस्थान~~ वन अधिनियम की धारा १४ की विज्ञप्ति राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु श्री वन बन्दोबस्त अधिकारी साहब राजस्थान जयपुर पास प्रेषित किये जो वहां से मुख्य वन संरक्षक साहब राजस्थान के कार्यालय में प्रेषित किये गये परन्तु उसके पश्चात इस वनखण्ड की विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई और न ही राजपत्र में प्रकाशित हुई किन्तु काफी समय तक प्रयत्न करने पर भी पुराने ट्रेसिस नहीं मिले इस सम्बन्ध में श्री वन संरक्षक साहब, परिक्षेत्र, उदयपुर का भी उत्तर प्राप्त हुआ है कि अब नये ट्रेसिस राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत तैयार कराये जाकर राजपत्र में प्रकाशन की कार्यवाई कराई जावे. इस सम्बन्ध में श्री वन संरक्षक साहब, योजना व सीमांकन राजस्थान जयपुर का भी पत्र संख्या ४१०१ दिनांक २८-८-६१ प्राप्त हुआ है.

अत: निर्णय दिनांक २०/२ ५३ के आधार पर इस वनखण्ड सम्बन्धी सीमारेखा का विवरण व अधिकार के परिशिष्ट अ, ब मय ट्रेस नक्शा संलग्न कर राजस्थान वन अधिनियम संख्या १३ सन् १९५३ की धारा २० की विज्ञप्ति राजपत्र में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है.

Sd/-

वन बंदोबस्त अधिकारी,

उदयपुर राजस्थान.

संलग्न :-

ट्रेस नक्शा:-

विज्ञप्ति धारा २०,

सिमारेखा का विवरण, व

अधिकार के परिशिष्ट,

TRUE COPY.

Forest Settlement Officer

Udaipur (Rajasthan)

14-8-61